न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–44/2022

जयकारी देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

श्रीमति अंजली पाण्डेय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
01.02.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 31.08.2023 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 31.08.2023 में कहा गया है कि प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 दिनांक 19.10.2022 को न्यायालय में उपस्थित हुये तथा बयान तहरीरी वास्ते समयावेदन दिये जो न्यायालय के द्वारा स्वीकृत किया गया। कुछ आवश्यक कागजातो के खोजबीन तथा नकल प्राप्त होने में विलंब हुआ तथा प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 अपना बयान तहरीरी समय पर दाखिल नही हो सका। प्रतिवादीगणों द्वारा बयान तहरीरी में जानबुझकर विलंब नही किया गया। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि बयान तहरीरी दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करते हुये बयान तहरीरी को स्वीकृत करने की कृपा करें। वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा कहा कि प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय पर बयान तहरीरी दाखिल नही किये है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 दिनांक 19.10.2022 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 02.05.2023 को प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया तथा प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 दिनांक 31.08.2023 को अपना बयान तहरीरी न्यायालय में दाखिल किये। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–44/2022

जयकारी देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

श्रीमति अंजली पाण्डेय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 01.02.2024	पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 काफी समय के बाद दिनांक 31.08.2023 को न्यायालय में अपना बयान तहरीरी दाखिल किया है तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 का आवेदन मो0–3000/– (तीन हजार) रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–02 एवं 03 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 15.02.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	